हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क सुधार कार्यक्रम

(एच.पी.एस.आर.टी.पी)

पुनर्वास नीति ढांचा

अप्रैल 2020

(दिसंबर 2019 में प्रकाशित दस्तावेज का अद्यतन संस्करण)

हिमाचल प्रदेश सडक और अन्य अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड

(हिमाचल प्रदेश सरकार का उपक्रम)

(आईएसओ 9001: 2008 क्यूएमएस और आईएसओ 14001: 2004 ईएमएस कंपनी की पुष्टि करते हुए)

पुनर्वास नीति ढांचा

कार्य सारांश

परियोजना संदर्भ और विवरण

राज्य स्तर की परिवहन संस्थाओं में आमूल रूपांतरण करने, बागवानी के लिए यातायात और संभार तंत्र (लॉजिस्टिक्स) में सुधार करने तथा राज्य के समग्र आर्थिक विकास के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश को भारतमाला नेटवर्क से ज़ोड़ने और सड़क सुरक्षा बढ़ाने से संबंधित हिमाचल प्रदेश सरकार का कार्यक्रम, प्रस्तावित परियोजना के तहत कार्यान्वित किए जाने वाले संस्थागत रूपांतरण के लक्ष्य तय करता है। परियोजना विकास का लक्ष्य यातायात, संभार तंत्र और सड़क सुरक्षा संस्थाओं की दक्षता बढ़ाना है ताकि हिमाचल प्रदेश में बागवानी और समग्र आर्थिक विकास को प्रोत्साहित किया जा सके। प्रस्तावित परियोजना में ये घटक शामिल हैं: **घटक-1**: हिमाचल प्रदेश की परिवहन और लॉजिस्टिक्स संस्थाओं का निर्माण करना और लचीलापन; **घटक-2**: हिमाचल प्रदेश में बागवानी और समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की दृष्टि से प्राथमिकता अनुसार प्रमुख जिला सड़कों में सुधार। इस घटक के अंतर्गत वरीयता अनुसार लक्षित संग्राहक सड़कों/प्रमुख जिला सड़कों (एमडीआर्स) के उन्नयन के लिए धन दिया जायेगा। **घटक-3**: सड़क सुरक्षा बढ़ाना। घटक-2 में करीब 77.25 कि.मी. सड़कों का निर्माण करके छोटी जोत वाले किसानों के उत्पादन और प्राथमिक प्रसंस्करण क्लस्टरों को थोक मंडियों/छोटे और मध्यम उद्यम क्लस्टरों से जोड़ा जाना है। परियोजना के तहत बुनियादी उपायों पर अमल से ये नतीजे मिलने की उम्मीद है: 1) परिवहन और संभार तंत्र (लाजिस्टिक्स) संस्थाओं की दक्षता में सुधार; 2) रखरखाव के खर्च में कमी; 3) परियोजना के तहत बनने वाली सड़कों के जरिए, **जिनसे** उत्पादन केन्द्रों से छोटे और मझोले उद्यमों के क्लस्टरों/थोक मंडियों तक ले जाने की परिवहन लागत में कमी लाना; और 4) परियोजना क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाओं में प्रति लाख आबादी में हताहत होने वालों की संख्या में कमी लाना।

गलियारों का उच्चीकरण और रखरखाव

परियोजना के घटक में प्रस्तावित बुनियादी ढांचे संबंधी गतिविधियों में राज्य के तीन जिलों—सोलन, बिलासपुर और मंडी में कुल 77.25 कि.मी. लंबे गलियारों के

उच्चीकरण/सड़कों के निर्माण का कार्य शामिल है। इसके अलावा परियोजना में 150 कि.मी. लंबी अनुरक्षण सड़कें भी शामिल हैं, जिनकी अवस्थिति वर्तमान में ज्ञात नहीं है। गलियारा उच्चीकरण के अंतर्गत आने वाली गतिविधियों में संकेंद्रित चौड़ीकरण, विकेंद्रित चौड़ीकरण और वाहन चलाते समय चालकों को आसानी से नजर न आने वाले स्थानों और भूस्खलन की आशंका वाली जगहों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक **ज्यामितीय** सुधार; रूपरेखा (डिजायन) में सुधार और पर्वतीय क्षेत्रों के ग्रामीण इलाकों में वाहनों की रफ्तार को ध्यान में रखते हुए सड़कों को चौड़ा करना और पर्याप्त ऊंचाई वाले पुश्तों के निर्माण जैसे कार्य शामिल हैं। इसके अलावा छोटे पुलों, बड़े पुलों, पाइप, स्लैब और बॉक्स कलवर्ट आदि में भी पुनर्निर्माण, छोटे-मोटे निर्माण तथा विस्तार आदि की आवश्यकता है। परियोजना के अंतर्गत सड़कों में पड़ने वाले बस स्टापों (जिन्हें स्थानीय रूप से वर्षा शालिका कहा जाता है) को नये तरीके से बनाया जाएगा। 150 कि.मी. लंबे गलियारों के रखरखाव की गतिविधियों के तहत निम्नांकित कार्यों के शामिल होने की संभावना है: मामूली मरम्मत का काम, सड़क के मोड़ों में सुधार, वाहन चलाते समय ठीक से नजर न आने वाले स्थानों में सुधार, सड़क में दूसरे वाहनों को पास देने की जगह का प्रावधान, सड़क पुलों में छोटी-मोटी मरम्मत, महत्वपूर्ण स्थानों पर रिटेनिंग वॉल/ब्रेस्ट वॉल संबंधी कार्य, प्राकृतिक समाधान या बायो-इंजीनियरी घटक आदि, मरम्मत का रोजमर्रा का कार्य, आवधिक रखरखाव, सड़क सुरक्षा और आपात कार्य आदि शामिल हैं।

संभावित दुष्प्रभाव

प्रथम चरण में उच्चीकरण के लिए चुनी गयी उप-परियोजना की प्रस्तावित सड़कें तीन जिलों- सोलन, बिलासपुर और मंडी में हैं। चारों गलियारों के लिए सामाजिक छानबीन (सोशल स्क्रीनिंग) की गयी। अंतिम रूपरेखा (डिजायन) पर आधारित दो प्राथमिकता उच्चीकरण कॉरीडोरों के विस्तृत पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव आकलन कराए गये। एच.पी.आर.आई.डी.**सी.**/एच.पी.पी.**डब्ल्यू.डी.** से मार्ग-अधिकार (राइट ऑफ द वे) का ब्यौरा इकट्ठा किया गया और राजस्व अभिलेख से उसका सत्यापन किया गया। प्रभाव आकलन से संकेत मिलता है कि कई स्थानों पर खास तौर पर बस्तियों और बाजारों के निकट, रिहायशी, वाणिज्यिक और साझा संपत्तियों से, मौजूदा मार्ग-अधिकार का अतिक्रमण हुआ है। इन आकलनों के आधार पर यह पूर्वानुमान लगाया गया है कि उच्चीकरण और रखरखाव के बाकी कार्यों को करते समय भी इसी तरह के प्रभाव उत्पन्न होने की संभावना है। निर्माण-पूर्व चरण के प्रतिकूल सामाजिक प्रभाव इस प्रकार हैं: खेती की उपजाऊ भूमि और/या आवासीय

भूमि की हानि; आमदनी साधनों पर असर पड़ने से आजीविका पर प्रभाव; मालिक/पट्टाधारी, किरायेदार, कृषक, गैर-पट्टेदार (अतिक्रमण करने वाले, कब्जेदार) पर प्रभाव; दुर्बल और उपेक्षित आबादी जैसे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों, अनुसूचित जातियों/जनजातियों, दिव्यांगों महिला मुखिया वाले परिवारों पर विशेष प्रतिकूल प्रभाव; अन्य संपत्तियों जैसे चहारदीवारी, तालाब आदि का नुकसान; आंशिक/छुटपुट संपत्ति संसाधनों जैसे धार्मिकस्थल/ढांच, स्कूल की इमारत, स्वास्थ्य केन्द्रों, जल स्रोतों (हैंड पम्पों), बस स्टापों/वर्षा शालिकाओं आदि; आजीविका का अस्थायी या स्थायी नुकसान, रास्ते का अधिकार समाप्त हो जाने से आजीविका की हानि, खास तौर पर छोटी-मोटी दुकान चलाने वालों, अतिक्रमण करने वालों और नाजायज कब्जा करने वालों को। निर्माण के चरण के प्रभावों में ये शामिल हो सकते हैं: ढांचे में **दरार** या निर्माण कार्य की वजह से नुकसान, जैसे पहाड़ को काटे जाने से; निर्माण कार्य से मौसमी जल स्रोतों या जल धाराओं का सूख जाना; निर्माण कार्य के दौरान धूल **से** फसलों और पेड़ों पर जमा होने से पैदावार में कमी या विकास रुकना; सड़कों के सुधरने से जुड़े सुरक्षा संबंधी मुद्दे, जैसे यातायात बढ़ने से उत्पन्न सुरक्षा संबंधी मसले जैसे दुर्घटनाएं, निर्माण कार्य के लिए बड़ी संख्या में बाहर से प्रवासी मजदूरों के आने से महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा में बढ़ोतरी; और प्रवासी मजदूरों और सड़कों के आस-पास रहने वालों में एचआईवी/एड्स फैलने की आशंका। इन सब पहलुओं को कॉरीडोर संबंधी **विशिष्ट** पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन योजना (ईएसएमपी) में शामिल किया गया है।

प्रभावी कानूनी और विनियामक ढांचा

परियोजना में भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार के जो विनियम, अधिनियम और नीतियां तथा विश्व बैंक के पर्यावरण और सामाजिक फ्रेमवर्क तथा पर्यावरण एवं सामाजिक मानक (डब्ल्यूबी ईएसएफ एंड ईएसएस) लागू होते हैं वे इस प्रकार हैं: भूमि अधिग्रहण में समुचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार का अधिनियम, 2013 (आरएफसीटीएलएआरआर) और नियम 2015; निजी तौर पर बातचीत के जरिए भूमि अधिग्रहण संबंधी स्थायी आदेश सं. 28; हिमाचल प्रदेश सड़क अवसंरचना संरक्षण अधिनियम, 2002 (और नियम 2004); हिमाचल प्रदेश रोडसाइड लैंड कंट्रोल एक्ट 1968; सूचना का अधिकार अधिनियम 2005; पंचायतों का प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996. विश्व बैंक के ईएसएफ (पर्यावरण और सामाजिक फ्रेमवर्क) के मानदंडों के अनुसार जहां ईएसएस-1 (पर्यावरण और सामाजिक मानक-1) में जोखिमों और प्रभाव को

सामाजिक असर के आकलन का आधार बनाकर अधिक महत्व दिया गया है, वहीं भूमि अधिग्रहण प्रतिबंधों और अनैच्छिक पुनर्वास से संबंधित ईएसएस-5 उपर्युक्त सामाजिक जोखिमों और मसलों से संबंध रखता है। सांस्कृतिक धरोहर से संबंधित ईएसएस-8 के अंतर्गत सीपीआर (कंट्री परफार्मेंस रेटिंग) पर असर डालने वाली बातें आती हैं, खास तौर पर ऐसी बातें जो परियोजना क्षेत्र में रहने वाले समुदायों के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व की होने के कारण अहमियत रखती हैं। संबंधित पक्षों के साथ संपर्क और सूचनाओं के प्रकटीकरण से संबंधित ईएसएस-10 का उद्देश्य संबद्ध पक्षों के साथ संबंध स्थापित करने में प्रणालीगत तरीका अपनाना है। यह परियोजना क्षेत्र में इससे प्रभावित पक्षों, प्रभावित समुदायों, नाजुक तबकों, नुकसान उठाने वालों और दिलचस्पी लेने वालों के साथ संबंध स्थापित करने के तौर-तरीके तय करेगा।

पुनर्वास नीति ढांचा

पुनर्वास नीति की रूपरेखा विभिन्न आकलनों के आधार पर तैयार की गयी है जिनमें लागू होने वाले कानूनी और नीतिगत ढांचे की समीक्षा भी शामिल है। विश्व बैंक के पर्यावरण और सामाजिक मानकों (ईएसएस) के प्रावधानों के साथ तालमेल कायम करने के लिए यह रूपरेखा अंतराल को पाटने का कार्य भी करती है। यह परियोजना के सामाजिक प्रभाव के प्रबंधन के लिए सिद्धांतों और प्रक्रियाओं का निर्धारण करेगी और सामाजिक प्रभाव का आकलन करने तथा पुनर्वास कार्य योजना बनाने में दिशानिर्देश प्रदान करेगी। विभिन्न पणधारियों के सुझावों और सिफारिशों की सावधानी से जांच की गयी जिसका उपयोग पुनर्वास नीति की रूपरेखा (आरपीएफ) तैयार करने में आधार के रूप में किया जाएगा। विश्व बैंक ईएसएफ 2016 (ईएसएस 5 और ऊपर बताये गये अन्य प्रासंगिक ईएसएस) तथा आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013 और हिमाचल प्रदेश सरकार के निजी सौदों संबंधी स्थायी आदेश के तुलनात्मक विश्लेषण से पता चलता है कि इनमें कई समानताएं हैं जबकि कुछ अंतर भी है। समानताओं में विस्तृत प्रभाव प्रबंधन योजनाएं तैयार करने समेत ये बातें भी शामिल हैं: 1) जनसंख्या और सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण; 2) परामर्श; और **3**) अगर जमीन औपचारिक रूप से अधिनियम के प्रावधानों का उपयोग कर खरीदी गयी है तो इस बारे में प्रकटीकरण आदि। निजी सौदों में परियोजना अधिकारियों द्वारा जिला अधिकारियों के साथ विस्तृत परामर्श की आवश्यकता होती है; 4) भूमि का बाजार दर पर मूल्यांकन और गुणनांक तथा क्षतिपूर्ति वार्ता या कुछ मामों में अगर ईएसएस 5 की शर्तों से अधिक हो तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट, खास तौर पर जब निजी सौदे वाली विधि का उपयोग किया जा रहा हो।

5) अंतरिम अवधि के लिए आरएंडआर सहायता, पुनर्वास सहायता, विस्थापितों के लिए स्थान, विस्थापन भत्ता और सहायता के अन्य उपाय किये जाते हैं जो ईएसएस 5 की जरूरतों को पूरा करते हैं। ईएसएस 5 और भारत सरकार/हिमाचल प्रदेश सरकार के तरीकों में अंतर जिनका संबंध निम्नलिखित से है: 1) गैर-पट्टाधारियों (अतिक्रमण करने वाले और कब्जा करने वालों) को परियोजना से प्रभावित लोगों के रूप में मान्यता न देना; 2) गैर-पट्टाधारियों के लिए पात्रता संबंधी प्रावधान-जैसे प्रभावित परिसंपत्तियों (भवनों, वृक्षों, फसलों आदि) के लिए कोई मुआवजा; आजीविका बहाल करने के लिए सहायता या समर्थन और धनराशि; भौतिक या आर्थिक विस्थापन से होने वाली स्थायी अथवा अस्थायी आय की हानि के लिए सहायता; 3) प्रभावित परिवार के रूप में चयन के लिए तीन साल की निवास अवधि पर विचार किया जाएगा; 4) मूल्य निर्धारण ढांचे में मूल्यह्रास पर भी विचार; 5) अनुसूचित जातियों और जनजातियों को छोड़कर अन्य नाजुक तबकों के लिए किसी अतिरिक्त प्रावधान का न होना।

ऊपर बतायी गयी कमियों को दूर करने के लिए परियोजना की पुनर्वास नीति की रूपरेखा में पट्टेदारी पर ध्यान दिये बगैर सभी प्रभावित लोगों को उन पर पड़े असर के अनुसार मुआवजा और सहायता देने की व्यवस्था की गयी है। इतना ही नहीं, इसमें सभी प्रभावित लोगों को पूरी तरह से शामिल करने की बात कही गयी है और इसके लिए जनगणना शुरू होने की तारीख को अंतिम समय सीमा माना जाता है। इसके अलावा इसमें अन्य दुर्बल वर्गों जैसे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों, महिला मुखिया वाले परिवारों, बुजुर्गों, भूमि अधिग्रहण के बाद जिन किसानों का दर्जा बदला है ऐसे किसानों आदि को भी शामिल करके नाजुक तबके का दायरा बढ़ाया गया है। मूल्यांकन करते समय ढांचों के लिए मुआवजे की गणना करने में मूल्यह्रास को हिसाब में नहीं लिया जाता।

पात्रता मैट्रिक्स

परियोजना के लिए पात्रता मैट्रिक्स नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	प्रभाव	पात्र इकाई	पात्रता का विवरण
क. निजी खेती, मकान आदि और वाणिज्यिक भूमि का नुकसान			
1	प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले	प्रभावित परिवार (भूस्वामी/पट्टेदार	आरएफसीटीएल एंड आरआर अधिनियम 2013 के जरिए अधिगृहीत तमाम भूमि के लिए; या निजी सौदे के तहत ली

क्रम सं.	प्रभाव	पात्र इकाई	पात्रता का विवरण
	गलियारे में जमीन (कृषि, मकान, खलिहान आदि, वाणिज्यिक तथा अन्य भूमि) का नुकसान	परिवार और परम्परागत भूस्वामी /कब्जेदार)	गयी जमीन: 1. मुआवजा/पट्टे की राशि की गणना आरएफसीटीएलएंडआरआर अधिनियम 2013 की धारा 26 से 30 और अनुसूची-1[1] के तहत की जाएगी और इसी अनुसार देय होगी **2. भूमि पर आंशिक प्रभाव** : अगर भूमि खंड का एक हिस्सा प्रभावित हो रहा है और इसका मालिक चाहता है कि पूरे भूखंड का अधिग्रहण हो क्योंकि भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 94 के अंतर्गत आंशिक रूप से अधिग्रहण में यह फायदेमंद नहीं रह गया है, तो सक्षम अधिकारी भूखंड के बाकी हिस्से के लिए मुआवजा दे सकता है या अतिरिक्त मुआवजा दे सकता है या बकाया भूमि के लिए वास्तविक मूल्य के 25 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त मुआवजा देकर, मालिक के राजी होने पर, बाकी भूमि को अपने पास रखने को कहा सकता है। या अगर सौदा निजी बातीचीत से हुआ हो तो डी.एन.सी. बकाया भूखंड के उसी दर पर अधिग्रहण के बारे में विचार कर सकता है। 3. आर.एफ.सी.टी.एल.एंड.आर.आर. अधिनियम 2013 या निजी बातचीतसे के तहत अधिगृहीत सभी भूमि के लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापना सहायता 2013 के अधिनियम की द्वितीय अनुसूची[2] के अनुसार सहायता। 4. अगर भूमि अधिग्रहण के परिणामस्वरूप प्रभावित परिवार भूमिहीन हो जाता है या छोटे और सीमांत किसान की श्रेणी में शामिल हो जाता है तो सहायता राशि 5 लाख रुपये. या एन्युइटी पालिसियां जो 20 साल तक प्रतिपरिवार 2 हजार रुपया मासिक से कम अदा नहीं करती, प्रत्येक प्रभावित परिवार को को 50,000 रुपये का एकमुश्त पुनर्वास भत्ता ही दिया जाएगा। 5. आजीविका बहाली के लिए सहायता/नक़द राशि : परामर्श, कौशल विकास/प्रशिक्षण सहायता आरएपी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से प्रदान की जाएगी, जो जरूरत के मूल्यांकन पर आधारित होगी। सहायता में प्रशिक्षण की लागत और यात्रा/वाहन एवं भोजन खर्च के लिए वित्तीय सहायता शामिल है। परियोजना कार्य अवसरों की खोज भी की जाएगी। **6.** जमीन के प्रतिस्थापन के लिए चुकाई गयी स्टाम्प इयूटी और पंजीयन शुल्क की वापसी परियोजना द्वारा की जाएगी; प्रतिस्थापन भूमि मुआवजे के प्रभावित परिवार को भुगतान के

क्रम सं.	प्रभाव	पात्र इकाई	पात्रता का विवरण
			एक साल के भीतर खरीद ली जानी चाहिए।
ख. निजी ढांचों का नुकसान (आवासीय/वाणिज्यिक)			
2	प्रभाव वाले गलियारे के भीतर के ढांचे	पट्टेदार/मालिक	1. धारा 26 से 30 (और आरएफसीटीएलएंडआरआर अधिनियम 2013 की अनुसूची-1) के अनुसार मुआवजा 2. प्रभावित ढांचे से सामग्री को निकालने का अधिकार 3. ढांचे को खाली कराने के लिए तीन महीने का अग्रिम नोटिस 4. जिन लोगों के मवेशियों के बाड़ों का नुकसान हुआ है 25,000 रुपये की एकमुश्त सहायता देय 5. दस्तकारों के प्रत्येक प्रभावित परिवार या स्व-रोजगार करने वाले अथवा गैर-कृषि भूमि के मालिकों को जो विस्थापित हुआ है, और जिसे दूसरी जगह बसाया जाना है, 25,000 रुपये की एकमुश्त सहायता देय होगी; 6. ऐसे प्रत्येक प्रभावित परिवार को जो विस्थापित हुआ है और जिसे नये स्थान पर बसाने की आवश्यकता है 36,000 रुपये का एकमुश्त निर्वाह भत्ता 7. प्रत्येक विस्थापित परिवार को स्थानांतरण/परिवहन खर्च के रूप में 50,000 रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता ताकि वह परिवार, भवन निर्माण सामग्री, सामान और मवेशी आदि को नये स्थान पर बसा सके। 8. मौजूदा दरों पर निर्धारित बाजार मूल्य पर नया वैकल्पिक मकान/दुकान खरीदने पर स्टांप ड्यूटी और पंजीयन शुल्क की वापसी। वैकल्पिक मकान/दुकान मुआबजे के भुगतान की तारीख से एक साल के भीतर खरीद लिया जाना चाहिए; 9. आंशिक प्रभाव के मामलों में ढांचे के नुकसान वाले हिस्से के लिए 25 प्रतिशत अतिरिक्त राशि मुआबजे के रूप में देने का प्रावधान है ताकि मालिक/कब्जेदार अपनी मर्जी से उस हिस्से में की मरम्मत करवा सके बशर्ते उसी हालत में उसमें रहने में जोखिम की कोई आशंका न हो। 10 वाणिज्यिक **परियोजना प्रभावित लोगों (PAPs)** के लिए, आजीविका बहाली के लिए सहायता/नक़द राशि : परामर्श, कौशल विकास/प्रशिक्षण सहायता आरएपी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से प्रदान की जाएगी, जो जरूरत के मूल्यांकन पर आधारित होगी। सहायता में प्रशिक्षण की लागत और यात्रा/वाहन एवं भोजन खर्च के लिए वित्तीय सहायता शामिल है। परियोजना कार्य अवसरों की खोज भी की जाएगी।
3	प्रभाव क्षेत्र	किरायेदार/ पट्टेदार	1. पंजीकृत पट्टेदार मुआबजे के एक हिस्से को लागू होने वाले

क्रम सं.	प्रभाव	पात्र इकाई	पात्रता का विवरण
	गलियारे के भीतर ढांचा		स्थानीय नियमों के अनुसार ढांचे के मालिक के लिए रखने का हकदार होगा। 2. किरायेदारों के मामले में परिवहन और पुनर्स्थापन लागत के रूप में 50,000 रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी और खाली कराने के लिए तीन महीने का नोटिस दिया जाएगा। अगर खाली कराने के लिए तीन महीने का नोटिस नहीं दिया जाता है तो नोटिस के एवज में तीन महीने का किराया भत्ता दिया जाएगा।
ग. पेड़ों और फसलों का नुकसान			
4	प्रभाव क्षेत्र के गलियारे में खड़ी फसलें, पेड़,	मालिक और लाभार्थी (पंजीकृत/अपंजीकृत किरायेदार, बटाईदार, पट्टेदार, अनुबंधित काश्तकार)	1. अधिनियम की धारा 29(3) के तहत आकलित नकद मुआबजे का भुगतान किया जाएगा जिसकी दर का आकलन निम्नलिखित द्वारा किया जाएगा : • इमारती लकड़ी के लिए वन विभाग द्वारा, • फसलों के लिए राज्य कृषि प्रसार विभाग द्वारा, • फल/फूलदार पेड़ों के लिए उद्यान विभाग द्वारा 2. परियोजना से प्रभावित लोगों को तीन महीने का नोटिस दिया जाएगा ताकि वे खड़ी फसलों और फलों को समेट लें और पेड़ों को काट लें या ऊपर बताये गये तरीके से मुआबजे की राशि ले लें। पंजीकृत किरायेदार, अनुबंधित काश्तकार, पट्टेदार और बंटाईदार फसलों और पेड़ों के लिए मुआवजा पाने के हकदार होंगे जो मालिक और लाभार्थियों के बीच समझौते के दस्तावेज की शर्तों के अनुसार होगा। अपंजीकृत किरायेदार, अनुबंधित काश्तकार, पट्टेदार और बंटाईदार फसलों और पेड़ो के लिए मुआवजा पाने के हकदार होंगे जो मालिक और लाभार्थियों के बीच समझौते के दस्तावेज की शर्तों के अनुसार होगा।
घ. बिना पट्टेवालों को आवासीय/वाणिज्यिक ढांचों के नुकसान के लिए मुआवजा			
5	प्रभाव क्षेत्र वाले गलियारे या सरकारी भूमि पर ढांचे	परियोजना जनगणना सर्वेक्षण के अनुसार ढांचों के मालिक या ढांचों के कब्जेदार (अतिक्रमणकारी, कब्जेदार)	मकान के नुकसान पर 1. ढांचे के लिए मूल्यह्रास के बिना पीडब्ल्यूडी बीएसआर दर पर मुआवजा 2. 36,000 रुपये का एकमुश्त निर्वाह अनुदान या 3,000 रुपये मासिक की दर से 12 महीनों में मुआबजे का भुगतान (रु. 3,000X12)

क्रम सं.	प्रभाव	पात्र इकाई	पात्रता का विवरण
			3. विस्थापन/परिवहन सहायता 50,000 रुपये 4. अतिक्रमण करके रह रहे लोगों को खाली करने के लिए तीन महीने का नोटिस दिया जाएगा या ढांचे के नुकसान के एवज में विस्थापन लागत के रूप में नकद सहायता दी जाएगी 5. प्रभावित सामग्री को बचाने का अधिकार दूकान[5] /पशुओं के बाड़े या कार्यशाला के नुकसान पर 6. ढांचे के लिए मूल्यह्रास के बिना पीडब्ल्यूडी बीएसआर दरर पर मुआवजा 7. 36,000 रुपये का एकमुश्त निर्वाह अनुदान या 3,000 रुपये मासिक की दर से 12 महीनों में मुआबजे का भुगतान (रु. 3,000X12) 8. दस्तकारों को दी गयी प्रभावित दूकानों के पुनर्निर्माण के लिए 25,000 रुपये का एकमुश्त पुनर्वास अनुदान 9. 50,000 रुपये की स्थानांतरण/परिवहन सहायता 10. अतिक्रमण करके रह रहे लोगोकं को कब्जे वाली जमीन को खाली करने के लिए तीन महीने का नोटिस या ढांचे के नुकसान के एवज में प्रतिस्थापन लागत पर नकद सहायता दी जाएगी 11. प्रभावित सामग्री को बचाने का अधिकार 12. आजीविका बहाली के लिए सहायता/नक़द राशि : परामर्श, कौशल विकास/प्रशिक्षण सहायता आरएपी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से प्रदान की जाएगी, जो जरूरत के मूल्यांकन पर आधारित होगी। सहायता में प्रशिक्षण की लागत और यात्रा/वाहन एवं भोजन खर्च के लिए वित्तीय सहायता शामिल है। परियोजना कार्य अवसरों की खोज भी की जाएगी।
ड. आजीविका का नुकासन			
6	गैर-कृषि गतिविधियों या दिहाड़ी काश्तकारी या अन्य तरह की मजदूरी में रोजगार का नुकसान	आजीविका गंवाने वाले	निर्वाह भत्ता जो तीन महीने की न्यूनतम मजदूरी/अधिकतम कृषि मजदूरी[6] के बराबर होगा केवल खेतिहर मजदूर जो भूस्वामी के यहां पूर्णकालिक/स्थायी रोजगार में हैं, या जिन्हें किसी कारोबार के पूर्णकालिक रोजगार का नुकसान हुआ है इस सहायता के पात्र होंगे। *मौसमी खेतिहर मजदूर इस*

क्रम सं.	प्रभाव	पात्र इकाई	पात्रता का विवरण
			सहायता के पात्र नहीं होंगे।
7	व्यापार का अस्थायी नुकसान	व्यापार मालिक	पहुंच बाधित होने के कारण आय के अस्थायी नुकसान के लिए मुआवजा एसआईए के दौरान एकत्रित आय पर डेटा के अनुसार निर्धारित किया जाएगा, और आय के नुकसान की अवधि के लिए भुगतान किया जाएगा।
च. नाजुक तबकों को अतिरिक्त सहायता			
8	प्रभाव क्षेत्र गलियारे के अंतर्गत परिवार	नाजुक तबकों के प्रभावित परिवार	1. 50,000 रुपये का एकमुश्त पुनर्वास भत्ता। 2. कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण.इस सहायता में प्रशिक्षण की लागत और यात्रा/यात्रा किराये और भोजन के लिए वित्तीय सहायता शामिल है। 3. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विस्थापित परिवारों को 50,000 रुपये की अतिरिक्त निर्वाह सहायता दी जाएगी। 4. विस्थापित नाजुक परिवारों को सरकारी कल्याण योजनाओं से जोड़ा जाएगा, बशर्ते वे इसके पात्र हों और अब तक इनका फायदा उन्हें न मिल रहा हो।
छ. सामुदायिक बुनियादी ढांचे/साझा संपत्ति संसाधनों का नुकसान			
9	प्रभाव क्षेत्र वाले गलियारे के अंतर्गत ढांचे और अन्य संसाधन (जैसे जमीन, पानी, ढांचों तक पहुंच आदि)	प्रभावित समुदाय और समूह	सामुदायिक ढांचों और साझा संपत्ति संसाधनों का पुनर्निर्माण समुदाय के साथ परामर्श से किया जाएगा
ज. निर्माण के दौरान अस्थायी प्रभाव			
10	निर्माण के दौरान जमीन और संपत्तियों पर अस्थायी प्रभाव	जमीन और संपत्तियों के मालिक	निर्माण के दौरान होने वाले अस्थायी नुकसान का भुगतान ठेकेदार द्वारा किया जाएगा: 1 **क्षतिग्रस्त संरचना:** लोक निर्माण विभाग के नवीनतम बेसिक शेड्यूल ऑफ रेट्स (बीएसआर) के अनुसार क्षतिपूर्ति का अनुमान लगाया जाएगा।

क्रम सं.	प्रभाव	पात्र इकाई	पात्रता का विवरण
			2 **फसलें और वृक्ष** : फसलों और वृक्षों के नुकसान के लिए मुआवजे का आकलन आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम की धारा 29 (3)[7] के अनुसार किया जाएगा। आर.ओ.डब्ल्यू. से बाहर की जमीन का सभी तरह का अस्थायी उपयोग भूस्वामी और ठेकेदार के बीच लिखित स्वीकृति/पूर्वानुमति से किया जाएगा।
झ. पुनर्वास स्थल/विक्रेता बाजार का प्रावधान			
11	आवासीय और वाणिज्यिक ढांचों का नुकसान	विस्थापित पट्टाधारी और गैर-पट्टाधारी	1. आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 की तीसरी अनुसूची में (पुनर्वास कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाओं की प्रकार का विवरण दिया गया है) पुनर्वास स्थलों में न्यूनतम निर्दिष्ट फ्लोर एरिया के साथ उपयुक्त स्थायी आवास और अन्य प्रावधानों का विवरण दिया गया है। 2. **ग्रामीण इलाकों में मकान के नुकसान के लिए** प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई-ग्रामीण) के प्रावधानों के अनुसार निर्मित आवास उपलब्ध कराया जाएगा या उसके बदले में निर्मित आवास की समतुल्य लागत के बराबर राशि दी जाएगी जो 1.3 लाख[8] रुपये से कम नहीं होगी। **शहरी इलाकों में मकान का नुकसान होने पर,** निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जो प्लिंथ एरिया में 50 वर्ग मीटर से कम नहीं होगा; और अगर परिवार इसे लेने से इनकार करता है तो उसे मकान बनाने के लिए एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी जो 1.5 लाख रुपये (पीएमएवाई-शहरी) से कम नहीं होगी। **3.** वैकल्पिक मकान के प्रावधान के बदले में यह सुविधा सभी विस्थापित परिवारों को बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध करायी जाएगी, जिनमें आवासों के मालिक, कब्जेदार, लम्बी अवधि वाले पट्टेदार और विस्थापित स्क्वैटर्स शामिल हैं। **4.** ऊपर बताये गये लाभ सभी प्रभावित ऐसे परिवारों को दिये जाएंगे जिसके पास अपना कोई मकान नहीं है और जो जनगणना सर्वेक्षण में चिन्हित इलाके का निवासी बताया गया है। **5.** एक विस्थापित परिवार पुनर्वास स्थल पर सिर्फ एक भूखंड या वेंडर मार्केट में एक दूकान के लिए पात्र होगा। **6.** परियाजना से प्रभावित नाजुक तबकों के परिवारों को वेंडर मार्केट में दूकानों के आबंटन में प्राथमिकता दी जाएगी।

क्रम सं.	प्रभाव	पात्र इकाई	पात्रता का विवरण
			7. इस प्रावधान का विस्तार मिश्रित उपयोग वाले ढांचों के लिए किया जाएगा ताकि आवासीय और वाणिज्यिक समेत अनटाइटल्ड श्रेणियों का मकसद पूरा हो सके।

लागू होने वाली सभी आर एंड आर राशि को हिमाचल प्रदेश के कृषि मजदूरों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ा जाएगा और उसे भुगतान से पहले अद्यतन किया जाएगा।

Foot Note

1. अनुसूची I में भूमि से जुड़ी सभी परिसंपत्तियों (संरचनाओं, पेड़ों, फसलों) के मूल्यांकन सहित भूमि का बाजार मूल्य पर मुआवजा शामिल है; हिमाचल प्रदेश के सभी लोगों के लिए 1 का गुणन कारक प्रयोज्य होगा; साथ ही सभी संलग्न परिसंपत्तियों सहित भूमि के लिए मुआवजे की राशि (100%) के बराबर एक "क्षतिपूर्ति" की जाएगी।
2. अनुसूची II प्रावधान जो इस परियोजना के लिए प्रासंगिक होंगे: i) रु. 5,00,000 / -; ii) विस्थापित परिवारों के लिए निर्वाह अनुदान; iii) विस्थापित परिवारों के लिए परिवहन लागत; iv) मवेशी शेड के लिए एकबारगी वित्तीय सहायता; v) कारीगरों / छोटे व्यापारियों के लिए एकबारगी वित्तीय सहायता; vi) एकबारगी पुनर्वास भत्ता; vii) स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क की छूट; vii) विस्थापन के मामले में आवास इकाइयों का प्रावधान।
3. भूमिहीन की परिभाषा- जमीन गंवाने वाले ऐसे व्यक्ति को अधिग्रहण के बाद भूमिहीन समझा जायेगा जिसके कब्जे में भूमि की कोई भी इकाई नहीं होगी।
4. भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के दौरान क्षतिग्रस्त खड़ी फसलों के मूल्य का आकलन करने के उद्देश्य से कलेक्टर, आवश्यक होने पर, कृषि के क्षेत्र में अनुभवी व्यक्तियों की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं।
5. छोटी दुकान में वाणिज्यिक कियोस्क और शैंटी शामिल हैं, जहां व्यापार किया जाता है।
6. परियोजना से संबद्ध राज्य सरकार के श्रम विभाग द्वारा विभिन्न कौशलों और व्यवसायों के लिए जारी दरों के अनुसार।
7. भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के दौरान क्षतिग्रस्त खड़ी फसलों के मूल्य का आकलन करने के उद्देश्य से कलेक्टर, आवश्यक होने पर, कृषि के क्षेत्र में अनुभवी व्यक्तियों की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं।
8. पीएमएवाई- प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थी के नेतृत्व में पृथक मकान निर्माण के लिए 1.3 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

क्रियान्वयन में संस्थागत व्यवस्था

एचपीआरआईडीसी पीएमयू के अंतर्गत ईएसएमपी और आरएपी लागू करने के लिए एक ईएसएमयू (पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन इकाई) स्थापित करेगा जिसका प्रमुख एक रेजीडेंट इंजीनियर होगा। उसकी मदद के लिए सहायक इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर होंगे। पैकेज/जिला स्तर पर पीएमयू क्षेत्र स्तर पर एचपीआरआईडीसी की ओर से परियोजना निदेशक, एचपीआरआईडीसी की परियोजना प्रबंधन में सहायता करेगी। ईएसएमयू के दो प्रभाग होंगे–पर्यावरण प्रबंधन यूनिट (ईएमयू) और सामाजिक प्रबंधन यूनिट (सामाजिक प्रबंधन यूनिट)। एसएमयू के तहत एसडीओ (सामाजिक विकास अधिकारी) सामाजिक, पुनर्वास संबंधी और जमीन से संबंधित दिन-प्रतिदिन के मुद्दों को एनजीओ या किराये पर रखे गये सहायता संगठनों की मदद से निपटाने के लिए जिम्मेदार होगा। एसडीओ की मदद के लिए पीएमयू के स्तर पर पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिकारी होगा। आरएपी पर कारगर अमल के लिए संस्थागत संबंधों और जिम्मेदारियों को निभाने तथा एचपीआरआईडीसी, राज्य सरकार, सहयोगी एनजीओज और प्रभावित जनसंख्या का तेज रफ्तार से संस्थागत विकास करने की आवश्यकता होगी। आदर्श स्थिति यह है कि अन्य संबद्ध विभागों, जैसे राजस्व, वन, जन स्वास्थ्य, ग्रामीण अभियांत्रिकी आदि के प्रतिनिधि भी ईएसएमयू में शामिल किए जायें। परन्तु, अंतिम जरूरत का निर्धारण एचपीआरआईडीसी द्वारा किया जायेगा। ईएसएमयू इस परियोजना को राज्य सरकार की एजेंसियों से जोड़ेगा और एचपीआरआईडीसी की क्षेत्रीय इकाइयों और प्रभावित समुदायों के बीच तालमेल कायम करने के साथ ही जिला स्तरीय कमेटियां स्थापित करेगा ताकि क्षेत्र में सामाजिक विकास और पुनर्वास की गतिविधियों के बीच समन्वय किया जा सके। साथ ही यह एनजीओ साझेदारों की भी मदद करेगा। यह वांछित प्रशिक्षण सेवाओं की भी सहायता प्राप्त करेगा, शिकायत निवारण प्रक्रिया की देखरेख करेगा और आरएपी के क्रियान्वयन पर कारगर नजर रखेगा।

आंतरिक निगरानी और बाह्य मूल्यांकन

आंतरिक निगरानी ईएसएमयू की जिम्मेदारी होगी। ईएसएमयू की आंतरिक निगरानी में शामिल होगा : 1) प्रशासनिक निगरानी- जिसके तहत दैनिक नियोजन, क्रियान्वयन, फीडबैक् और गड़बड़ियां दूर करना, व्यक्तिगत पीएपी फाइल बनाना, और प्रगति रिपोर्ट भेजना; 2) सामाजिक-आर्थिक निगरानी; पीएपी की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों की तुलना के लिए बुनियादी जानकारी, खाली कराने, ध्वस्त करने, सामान को बचाने, सामुदायिक संबंध, परामर्श के लिए तारीख आदि कार्य शामिल हैं। पुनर्वास क्रियान्वयन में प्रगति को अभिलेखबद्ध करने

वाली निगरानी और मूल्यांकन रिपोर्ट और आरएपी के पूरा होने की रिपोर्ट एचपीआरआईडीसी द्वारा समीक्षाके लिए विश्व बैंक को उपलब्ध कराई जाएंगी।

एचपीआरआईडीसी परियोजना क्रियान्वयन से असंबद्ध किसी स्वतंत्र एजेंसी की सेवाएं लेकर बाह्य क्रियान्वयन का कार्य दो बार, -एक मध्यावधि में और दूसरा पूरा होने पर करेगा। ऐसी बाहरी एजेंसी जिसे पुनर्वास गतिविधियों के क्षेत्र में अनुभव हो और जो सरकार तथा विश्व बैंक की पुनर्वास नीति से परिचित हो आरएपीपर अमल की निगरानी तथा सत्यापन करने के काम में लगाई जाएगी जो इस बात का पता लगाएगी कि क्या पुनर्वास के लक्ष्य प्राप्त किये गये हैं, आजीविका और जीवन स्तर संबंधी मानदंड बहाल कर दिये गये हैं। यह एजेंसी सुधार के बारे में अपनी सिफारिशें भी देगी। बाह्य एजेंसी मध्यकाल में और परियोजना के पूरा होते समय परियोजना के प्रभाव-मूल्यांकन का कार्य नमूना आधार पर करेगी।

सिविल निर्माण कार्य के साथ तालमेल

भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास योजना पर अमल का खरीद तथा सिविल निर्माण कार्य के शुरू होने के साथ तालमेल कायम किया जाएगा। वांछित समन्वय के अनुबंध संबंधी आयाम होंगे और इसे खरीद तथा बोली लगाने की सारणी, अनुबंधित करने और निर्माण कार्य शुरू करने के लिए स्वीकृत सड़क/गलियारों के खंडों को ठेकेदारों को सौंपने के कार्य से जोड़ा जाएगा। परियोजना के अंतर्गत प्रभावित लोगों के लिए पर्याप्त अधिसूचना, परामर्श और सहायता की पर्याप्त व्यवस्था होगी ताकि वे मुआवजा हासिल करने के बाद और सिविल निर्माण कार्य प्रारंभ हाने से पहले अपनी संपत्ति को बिना अनावश्यक परेशानी के ले जा सकें। बोली संबंधी दस्तावेज में कार्य शुरू होने पर हस्तांतरित की जाने वाली अभारित जमीन के बारे में स्पष्ट सूचनाओं के साथ-साथ कार्य के परवर्ती चरणों से संबंधित लक्ष्यों की जानकारी रहेगी जिनका कड़ाई से पालन करना होगा ताकि यह सुनिश्चत हो सके कि ठेकेदारों को समय पर जमीन मिले। इसके अलावा जमीन अधिग्रहण पर योजनाबद्ध तरीके से अमल और सिविल निर्माण कार्य तथा खरीद योजनाओं पर तदनुसार अमल के साथ ही पुनर्वास कार्यक्रम पर भी कड़ाई से अमल किया जाएगा।

शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (जीआरसी) की व्यवस्था

जीआरसी में पीएपी और ईएसएमयू के प्रतिनिधि, क्षेत्रीय स्तर के कर्मचारी, जिला मजिस्ट्रेट/कमिशनर, स्थानीय प्रशासन, राजस्व प्राधिकारी और स्थानीय समुदायों के लोग शामिल होंगे। जीआरसी की मुख्य जिम्मेदारियां इस प्रकार हैं: 1) भूमि/संपत्ति अधिग्रहण से उत्पन्न समस्याओं पर पीएपी को मदद देना; 2) पीएपी शिकायतें दर्ज करना, श्रेणीकरण करना, उनकी प्राथमिकता तय करना और उनका समाधान खोजना;3) गंभीर मामलों के बारे में पीएमयू को तत्काल सूचित करना; 4) परियोजना से विस्थापित लोगों को उनकी शिकायतों और जीआरसी तथा पीएमयू के फैसलों के बारे में अवगत कराना। न्यायालय में चल रहे स्वामित्व के अधिकार संबंधी विवादों को छोड़कर, जीआरसी ऐसी अन्य सभी शिकायतों की समीक्षाकरेगी जिनमें तमाम पुनर्वास लाभ, मुआवजा, दूसरे स्थान पर बसाना, विस्थापन लागत और अन्य सहायता शामिल हैं। परियोजना प्रभावित लोगों की शिकायतें सबसे पहले साइट ऑफिस स्तर पर एचपीआरआईडीसी के समक्ष रखी जाएंगी जिनका निस्तारण शिकायत प्राप्त होने के दो सप्ताह के भीतर कर दिया जाएगा। एचपीआरआईडीसी कर्मचारियों (क्षेत्र स्तर) पर नहीं सुलझाई जा सकी शिकायतों को शिकायत समाधान कमेटी के समक्ष लाया जाएगा और ईएसएमयू/सीएमयू स्तर पर शिकायत प्राप्त होने के चार सप्ताह के भीतर इनका समाधान खोजा जाएगा। परियोजना से प्रभावित लोगों को इस बात का अधिकार होगा कि वे अपनी शिकायत को लेकर किसी भी चरण में उपयुक्त न्यायालय में गुहार लगा सकें।

बजट

आरपीएफ में अनुमानित पुनर्वास बजट शामिल होता है जिसमें एलए की लागत, आर एंड आर सहायता, आरएपी पर अमल और प्रभाव आकलन आदि के लिए एजेंसियों की सेवाएं लेने जैसी सामान और परामर्शसेवाओं की खरीद आदि शामिल रहते हैं। एलए और आर एंड आर की लागत को समग्रपरियोजना लागत के हिस्से के रूप में बजट में शामिल गया है जिसका भुगतान हिमाचल प्रदेश सरकार करेगी। विश्व बैंक का ऋण सामान की खरीद और एनजीओ परामर्श तथा जरूरत पड़ने पर एम एंड ई सेवाओं की लागत के भुगतान के लिए उपलब्ध रहेगा।

प्रकटीकरण और आपीएफ को अद्यतन करना

एचपीआरआईडीसी यह सुनिश्चित करेगा कि पीएपी और अन्य पणधारियों को उप-परियोजना के बारे में जानकारी दी जाए और इसके प्रभाव, लोगों की हकदारी तथा विकल्पों के बारे

उनकी राय ली जाए और उप-परियोजना तैयार करने में सक्रिय रूप से भाग लेने की इजाजत दी जाए। पूरा आरपीएफ और इसका कार्यकारी सारांश (स्थानीय भाषा हिंदी में अनूदित) एचपीआरआईडीसी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए। इसके अलावा आरपीएफ और पब्लिक डोमेन वाले जो अन्य संबंधित दस्तावेज वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे वे हैं: 1) आरएपी (स्थानीय भाषा में सारांश); 2) विभिन्न आर एंड आर लाभों के लिए पात्र पीएएफ की सूची; 3) आरएपी पर अमल के बारे में प्रगति रिपोर्ट पणधारियों की संपर्क योजना के अनुसार उद्घाटित की जाएगी। विश्व बैंक की सूचनाओं तक पहुंच की नीति के अनुसार परियोजना से संबंधित तमाम दस्तावेज विश्व बैंक के पोर्टल पर भी उपलब्ध रहेंगे। आरपीएफ फ्रेमवर्क एचपीएसआरटीपी के अंतर्गत आने वाली सभी परियोजना सड़कों और संबद्ध सुविधाओं पर लागू होगा। यह आरपीएफ 'अद्यतन' या 'जीवित दस्तावेज' होगा इसमें जब भी और जहां भी अप्रत्याशित स्थितियों में संशोधन की जरूरत होगी वहां ऐसा किया जा सकेगा और/या परियोजना अथवा उसके उपघटक के स्वरूप में या लागू होने वाले विनियामक ढांचे में बदलाव किये जा सकेंगे।